(ग) इन एककों की प्रबंध-व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केवल वर्ष 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 109 उद्यमों ने कुल 3046 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। इनमें से 54 विनिर्माणकारी उद्यमों को चिरकालिक रुग्ण उद्यम माना गया है और इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है ताकि इनके नवीकरण/पुनर्वास की योजनाएं बनाई जा सके। अन्य 13 उद्यम ऐसे हैं जो चिरकालिक रुग्ण तो हैं परन्तु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को नहीं सौंपा जाना है। इन उद्यमों के लिए नवीकरण योजना का निर्माण प्रशासनिक मंत्रालयों और संबद्ध प्रबंधनों द्वारा किया जाना है। सरकार घाटा उठाने वाले सभी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा कर रही है। और उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) विविध सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमों में सतर्कता तंत्र जैसी सांस्थानिक व्यवस्था पहले से की जा चुकी है और इन्हें उद्यमों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कदाचारों के मामलों, यदि कोई हो, को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये कृतिक बल

*347. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल को क्या-क्या जिम्मेदारियां और कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गये हैं;

(ग) क्या इस कृतिक बल द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कृतिक बल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Reciprocity regarding visa fees with the foreign missions

*348. CHOWDHRY HARI SINGH:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any reciprocity is maintained between Indian Missions abroad and the Foreign Missions in India with regard to collection of visa fees;

(b) if so, what are the broad features of the systems followed and the details of reciprocity maintained with different countries; and

(c) whether in case of rejection of applications certain foreign missions do not refund the full fee charged in advance, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) With effect from 12.12.91 a uniform visa fee schedule has been introduced applicable to all foreign nationals with the exception of those countries with which there are bilateral arrangements governing visas.

(c) The information is being collected.

*349. *[Transferred to 22nd December, 1992].*

गुजरात में फालतू भूमि का वितरण

*350. **श्री राम सिंह राठवा:**
श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में फालतू भूमि का वितरण कार्य अदालती मुकदमों के कारण सम्पन्न नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को

फालतू भूमि को गरीबों में वितरित करने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जारी निदेशों का ब्यौरा क्या है और इनका गुजरात सरकार द्वारा कहां तक पालन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) गुजरात सरकार ने अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित स्थिति से सूचित किया है:—

फालतू घोषित क्षेत्र:	: 2,51,577 एकड़
कब्जे में लिया गया क्षेत्र	: 1,55,347 एकड़
वितरित क्षेत्र	: 1,28,357 एकड़
विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी में ग्रस्त क्षेत्र	: 95,419 एकड़

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्यों के राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर पात्र भूमिहीन गरीबों में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के तेजी से वितरण की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ग) अक्तूबर, 1991 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह आम राय हुई थी कि अधिकतम सीमा से फालतू सारी भूमि को 31 मार्च, 1992 से पहले वितरित कर दिया जाए। 14 मार्च, 1992 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि विवादों से मुक्त अधिकतम सीमा से फालतू सारी भूमि को 30 जून, 1992 तक वितरित कर दिया जाए और राजस्व न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी में ग्रस्त भूमि में से कम से कम 75% भूमि को ऐसी मुकदमेबाजी से मुक्त कराया जाए और 30 सितम्बर, 1992 से पूर्व वितरित कर दिया जाए। गुजरात राज्य में मुकदमेबाजी में लंबित मामलों की तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:—

राजस्व न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी में लंबित मामलों की स्थिति

	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र एकड़
मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार	1625	52079
जून, 1992 की स्थिति के अनुसार	1536	47407

अक्तूबर, 1991 से अक्तूबर, 1992 तक गुजरात सरकार ने अधिकतम सीमा से फालतू 2210 एकड़ भूमि का वितरण किया है।

रूस और पाकिस्तान के रक्षा-संबंधों का मूल्यांकन

@ *351. **श्री इन्द्र कुमार गुजराल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने रूस से कुछ एस॰यू॰ 29 विमान प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस और पाकिस्तान के रक्षा-संबंधों के संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰एल॰ भाटिया): (क) से (ग) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान रूस से अत्याधुनिक सैन्य विमान प्राप्त करने का इच्छुक है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी सौदे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक साज-सामान हासिल करने से हमारी समग्र रक्षा तैयारियों पर जो असर पड़ता है उसका सरकार ध्यान रखती रही है और रखती रहेगी।

Shifting of the office of the Salt Commissioner to Gujarat

*352. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI VITHALBHAI M. PATEL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 70 percent of the country's salt is produced in Gujarat;

(b) whether it is also a fact that there is a strong demand to shift the office of the Salt Commissioner to Gujarat; and

(c) what are the reasons for not shifting this office to Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

@ पूर्वतः तारांकित प्रश्न 193, 7 दिसम्बर, 1992 से स्थानान्तरित।